

 म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल														प्रापटी फॉर सेल		
बाड़ाबुजुर्ग बुरहानपुर में प्रस्तावित भवनों हेतु पंजीयन आमंत्रण पंजीयन विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 07.03.2015 तक तृतीय विज्ञापन वर्ष-2014-15																
विशेष ऋण सुविधा पंजाब नेशनल बैंक से उपलब्ध																
स. क्र.	योजना का नाम	उपलब्ध भवन संख्या	भूखंड का क्षेत्रफल (व.मी. में)	कुर्सी क्षेत्रफल (व.मी. में)	अनुमानित मूल्य स्व.वि.यो. (लाख में)	पंजीयन राशि (लाख में)	अनारक्षित/ सामान्य	सांसद/ विधायक	अ. जा.	अ. ज. जा.	पिछड़ा वर्ग	स्व. संग्राम सेनानी	विकलांग	सैनिक अंश	मंडल कर्मचारी	बुद्धिजीवी श्रमजीवी पत्रकार अंश
1.	10 Jr. HIG	8	216.00	96.25	38.58	3.86	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-
2.	50 Jr. HIG "B"	31	142.50	77.25	28.14	2.81	3	9	3	8	3	2	2	1	1	1
3.	64 Jr. MIG	25	99.00	55.93	16.89	1.69	8	-	1	9	1	3	1	1	1	2
4.	72 LIG	19	40.50	25.75	7.23	0.73	10	-	-	4	-	3	1	1	1	1

❖ उपलब्ध भवनों के लिये आवेदन पत्र एच.आई.जी., एम.आई.जी. हेतु रुपये 500/-, एल.आई.जी. हेतु रु. 200/- के भुगतान पर Axis Bank अमरावती रोड ताप्ती स्ट्रीट के सामने बुरहानपुर में उपलब्ध। ❖ पंजीयन राशि चालान/डी.डी. (E.O. MPHIDB Khandwa) द्वारा आवेदन पत्र के साथ भुगतान करना होगा। पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्र मय आवश्यक प्रमाण-पत्र/पंजीयन राशि के साथ निर्धारित अवधि में जमा कराना होगा। आरक्षित अंश में आवेदन करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आरक्षित अंश/सांसद-विधायक अंश में आवेदक को मंडल की किसी भी योजना में किसी भी स्थान पर भवन/भूखण्ड पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है, बावत शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन निरस्त मान्य किया जावेगा। ❖ भवन स्ववित्तीय योजना अंतर्गत उपलब्ध। भूखण्ड का मूल्य इसी वित्तीय वर्ष 31.03.2015 तक फ्रोज किया गया है तदनुसार भूखंड का मूल्य पंजीयन स्वीकृति पश्चात् 31.03.2015 तक जमा कराना अनिवार्य रहेगा। भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर मण्डल द्वारा निर्धारित किशतों का 9 से 12 माह के मध्य भुगतान समय सीमा में करना आवश्यक है। भवन का मूल्य अनुमानित है, निर्माण कार्य पूर्ण होने पर मंडल द्वारा अंतिम मूल्य निर्धारण अनुसार जो मूल्य निर्धारित होगा वह देय रहेगा। भवन के मूल्य के अंतिम भुगतान पश्चात् स्वयं के व्यय पर विक्रय विलेख निष्पादित कराने के पश्चात् ही भवन का आधिपत्य प्रदान किया जावेगा। भवन क्रमांक का आवंटन लाटरी द्वारा किया जावेगा। ❖ निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर लाटरी द्वारा पंजीयन का निर्धारण किया जावेगा। पंजीयन राशि वापस चाहने की दशा में लाटरी के पूर्व 1 प्रतिशत एवं पंजीयन स्वीकृति पश्चात् 5 प्रतिशत राशि कटौत कर वापस की जावेगी। ❖ केन्द्र शासन/राज्य शासन द्वारा जारी कर एवं सर्विस टैक्स पृथक से नियमानुसार देय होंगे। ❖ नियम एवं शर्तें मंडल नियमानुसार लागू समय-समय पर जारी होने वाले परिपत्र आवंटी पर बंधनकारी रहेंगे। ❖ कार्नर/बेटर व अन्य चार्जस मण्डल नियमानुसार पृथक से देय रहेंगे। ❖ किसी भी विवाद की स्थिति में अपर आयुक्त मुख्यालय भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य रहेगा। ❖ आरक्षित अंश में उपलब्ध भवनों के लिये यह अंतिम अवसर है, इस अवधि में आरक्षित अंश में आवेदन प्राप्त न होने पर सामान्य अंश में परिवर्तित किये जावेंगे। पंजीयन हेतु संपर्क करें - ❖ सम्पत्ति अधिकारी/सम्पत्ति प्रबंधक 0733-2223114, (एन.के. वर्मा) सम्पत्ति अधिकारी संभाग- खंडवा

Visit us : www.mphousing.in
 म.प्र. माध्यम/74502/2015